सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
पौष 6, सोमवार, शाके 1932–दिसम्बर 27, 2010 *Pausa 6, Monday, Saka 1932–December 27, 2010*	

भाग 4 (ख)

राज्यपाल, राजस्थान के अध्यादेश।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 27, 2010

संख्या प. 4(10) विधि/2/2010:–राजस्थान राज्य के राज्यपाल द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर, 2010 को बनाया तथा प्रख्यापित किया गया निम्नांकित अध्यादेश सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन अध्यादेश, 2010

(2010 का अध्यादेश संख्यांक 04)

(राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर, 2010 को बनाया तथा प्रख्यापित किया गया)

राजस्थान राज्य में विभिन्न अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञाओं और अनुमोदनों की त्वरित और समयबद्ध मंजूरी के लिए तथा सक्षम प्राधिकारियों के समय पर कार्य करने में विफल रहने की दशा में उपयोग में लायी जाने वाली एक वैकल्पिक एकल खिड़की अनुज्ञापन प्रणाली को समर्थ बनाने के लिए, विनिधानकर्ता के प्रति अनुकूल वातावरण में सहायता देने के लिए तथा इससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अध्यादेश।

यतः राज्य में एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन प्रणाली उपलब्ध करा कर विनिधान परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए वातावरण सृजित किया जाना समीचीन है;

और यतः राजस्थान राज्य विधान सभा सत्र में नहीं है और राजस्थान राज्य के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी

परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है;

अतः अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में इसके द्वारा निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.**–(1) इस अध्यादेश का नाम राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन अध्यादेश, 2010 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह धारा तुरन्त प्रवृत्त होगी और इस अध्यादेश के अन्य उपबंध ऐसी तारीख से प्रवृत्त होंगे जो सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे और भिन्न–भिन्न उपबंधों के लिए,

(क) राज्य में भिन्न–भिन्न जिलों; और

(ख) आवेदन प्ररूप के रूप विधान –

में या उनके संबंध में भिन्न–भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी भी उपबंध में इस अध्यादेश के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का अर्थ, ऐसे जिलों में या आवेदन प्ररूप के ऐसे रूप विधान के संबंध में उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जायेगा।

2. **परिभाषाएं.**–इस अध्यादेश में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''विनिधान संवर्धन ब्यूरो'' से धारा 4 के अधीन यथा घोषित विनिधान संवर्धन ब्यूरो अभिप्रेत है;

(ख) ''सक्षम प्राधिकारी'' से सरकार का कोई विभाग या एजेंसी, स्थानीय प्राधिकारी, कानूनी निकाय, राज्य के स्वामित्वाधीन निगम, ग्राम पंचायत, नगरपालिका, या किसी राजस्थान विधि के अधीन या सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन गठित या स्थापित ऐसा कोई भी अन्य प्राधिकारी या एजेंसी, जिसको राज्य में कोई उद्यम स्थापित करने या उसके संकर्म प्रारंभ करने के लिए अनुज्ञा मंजूर या जारी करने के लिए शक्तियां और उत्तरदायित्व न्यस्त किये गये हैं, अभिप्रेत है;

(ग) "जिला सशक्त समिति" से धारा 3 के अधीन गठित जिला सशक्त समिति अभिप्रेत है;

(घ) "उद्यम" से, वस्तुओं के किसी भी रीति से विनिर्माण या उत्पादन में, या कोई सेवा या सेवाएं उपलब्ध कराने या देने में लगा हुआ कोई औद्योगिक उपक्रम या कोई कारबार समुत्थान, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाये, अभिप्रेत है;

(ङ) "सरकार" से राजस्थान राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(च) "विनिधानकर्ता" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी नये उद्यम में, या किसी विद्यमान उद्यम में, आय या लाभ या सामान्य सामाजिक हित की प्राप्ति के लिए, विस्तार, आधुनिकीकरण या विविधीकरण करने के लिए पूंजी विनिधान करता है;

(छ) "नोडल एजेंसी" से धारा 5 में निर्दिष्ट नोडल एजेंसियां अभिप्रेत हैं;

(ज) "अधिसूचना" से राजस्थान राज–पत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और शब्द "अधिसूचित" का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा;

(झ) "अनुज्ञा" से राजस्थान राज्य में किसी उद्यम की स्थापना के सम्बन्ध में किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा, अनापत्ति प्रमाणपत्र, अनुज्ञापन, आबंटन, सहमति, अनुमोदन, रजिस्ट्रीकरण, नामांकन, अनुज्ञप्ति इत्यादि का मंजूर या जारी किया जाना अभिप्रेत है और इसमें ऐसी समस्त अनुज्ञाएं सम्मिलित होंगी जो किसी उद्यम द्वारा उसके कार्य प्रारम्भ करने तक किसी भी राजस्थान विधि के अधीन अपेक्षित हों;

(ञ) "विहित" से इस अध्यादेश के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ट) "राज्य" से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है; और

(ठ) "राज्य सशक्त समिति" से धारा 3 के अधीन गठित राज्य सशक्त समिति अभिप्रेत है।

3. राज्य सशक्त समिति और जिला सशक्त समिति का गठन, शक्तियां और कृत्य.–(1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, राज्य में विनिधान के संवर्धन के प्रयोजन के लिए और उद्यम स्थापित करने के लिए धारा 11 में यथा उल्लिखित फायदों के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए और, यदि सक्षम प्राधिकारी धारा 12 के अधीन विहित कालावधि के भीतर–भीतर ऐसे आवेदनों पर विचार करने और उनका निपटारा करने में विफल रहता है तो मंत्रि–परिषद् की सहायता करने के लिए एक राज्य सशक्त समिति का गठन कर सकेगी।

(2) राज्य सशक्त समिति, रियायतें देने के लिए आवेदनों का परीक्षण करेगी या किसी भी राज्य विधि के उपबंधों से छूट या शिथिलीकरण को मंजूर करेगी, विभागों की टिप्पणियां, यदि कोई हों, पर विचार करेगी, जहां आवश्यक हो वहां विनिधानकर्ताओं के साथ विचार विमर्श करेगी और मंत्रि–परिषद् को सिफारिशें करेगी। मंत्रि–परिषद् को सिफारिशें प्रस्तुत करने की समय–सीमा ऐसी होगी जो धारा 12 के अधीन विहित की जाये।

(3) यदि सक्षम प्राधिकारी धारा 12 के अधीन विहित कालावधि के भीतर–भीतर ऐसे आवेदनों पर विचार करने और उनका निपटारा करने में विफल रहता है तो सरकार, अधिसूचना द्वारा, राजस्थान विधियों के अधीन अपेक्षित अनुज्ञा के लिए आवेदनों पर विचार करने और उनका निपटारा करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए एक जिला सशक्त समिति गठित कर सकेगी।

(4) यदि सक्षम प्राधिकारी धारा 12 के अधीन विहित कालावधि के भीतर–भीतर ऐसे आवेदनों पर कार्यवाही करने और उनका निपटारा करने में विफल रहता है तो किसी राजस्थान विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सशक्त समिति या, यथास्थिति, जिला सशक्त समिति को, राजस्थान विधि के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदनों पर विचार करने और उनका निपटारा करने की शक्ति होगी। इस प्रयोजन के लिए, ऐसी विधि में सक्षम प्राधिकारी के प्रति निर्देश का अर्थ, राज्य सशक्त समिति या,

यथास्थिति, जिला सशक्त समिति के प्रति निर्देश को सम्मिलित करते हुए लगाया जायेगा :

परन्तु जहां समिति तुरन्त बैठक करने में या आवेदन पर विचार करने में अन्यथा असमर्थ है, वहां संबंधित समिति का अध्यक्ष, लेखबद्ध कारणों से, आवेदन को विनिश्चित कर सकेगा और की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट समिति की आगामी बैठक में उसको प्रस्तुत कर सकेगा और समिति के किसी विनिश्चय के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे आवेदन पर अध्यक्ष का विनिश्चय, सभी प्रयोजनों के लिए इस धारा के अधीन संबंधित समिति का विनिश्चय समझा जायेगा।

(5) राज्य सशक्त समिति और जिला सशक्त समिति को ऐसे अन्य कृत्य, जो विहित किये जायें, समनुदेशित किये जा सकेंगे।

(6) जहां उप–धारा (4) के अधीन राज्य सशक्त समिति या जिला सशक्त समितियों में से किसी भी समिति द्वारा अनुज्ञा जारी की जाती है, वहां राज्य सशक्त समिति या, यथा स्थिति, जिला सशक्त समिति, उस संबंधित सक्षम प्राधिकारी, जो धारा 12 के अधीन विहित समय–सीमा के भीतर–भीतर आवेदन का निपटारा करने में विफल रहा है, के विरुद्ध समुचित कार्रवाई के लिए सरकार को सिफारिश कर सकेगी।

4. विनिधान संवर्धन ब्यूरो की घोषणा.–विद्यमान विनिधान संवर्धन ब्यूरो, जो राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक सोसाइटी है, इस अध्यादेश के प्रयोजनों के लिए विनिधान संवर्धन ब्यूरो होगा।

5. नोडल एजेंसी.–(1) विनिधान संवर्धन ब्यूरो, राज्य सशक्त समिति के लिए नोडल एजेंसी होगा।

(2) जिला उद्योग केन्द्र, जिला सशक्त समिति के लिए नोडल एजेंसी होगा।

6. नोडल एजेंसी की शक्तियां और कृत्य.–(1) सरकार और राज्य सशक्त समिति या, यथास्थिति, जिला सशक्त समिति के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए नोडल एजेंसी की शक्तियां और कृत्य निम्नलिखित होंगे :–

(i) आवेदन प्ररूपों को पूर्ण करने में विनिधानकर्ताओं की सहायता करना, पूर्ण किये गये आवेदनों को अभिस्वीकृत करना और

ऐसे आवेदन को धारा 12 के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर–भीतर कार्यवाही करने और निपटारे के लिए संबंधित सक्षम प्राधिकारियों को अग्रेषित करना;

(ii) आवेदनों की प्रास्थिति मानीटर करना और आवेदनों की प्रास्थिति की रिपोर्ट को राज्य सशक्त समिति या, यथास्थिति, जिला सशक्त समिति के समक्ष रखना;

(iii) जहां संबंधित सक्षम प्राधिकारी धारा 12 के अधीन विहित कालावधि के भीतर–भीतर आवेदन पर विचार करने और उसका निपटारा करने में विफल रहा है, वहां विनिधानकर्ता के आवेदन को राज्य सशक्त समिति या, यथास्थिति, जिला सशक्त समिति के समक्ष उसके विनिश्चय के लिए रखना;

(iv) धारा 11 में यथा उल्लिखित शिथिलीकरणों, छूटों और रियायतों के लिए विनिधानकर्ता से आवेदन प्राप्त करना;

(v) धारा 11 में यथा उल्लिखित शिथिलीकरणों, छूटों और रियायतों के लिए विनिधानकर्ता से प्राप्त आवेदनों पर संबंधित विभागों या प्राधिकारियों की टिप्पणियां प्राप्त करना;

(vi) संबंधित विभाग या प्राधिकारी की टिप्पणियां, यदि कोई हों, को धारा 12 के अधीन विहित कालावधि के भीतर–भीतर राज्य सशक्त समिति को प्रस्तुत करना;

(vii) यदि विहित समय सीमा में संबंधित विभाग या प्राधिकारियों से कोई भी टिप्पणी प्राप्त न हो तो धारा 11 में यथा उल्लिखित शिथिलीकरणों, छूटों और रियायतों के लिए विनिधानकर्ता से प्राप्त आवेदन को धारा 12 के अधीन विहित कालावधि के भीतर–भीतर, राज्य सशक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।

7. संबंधित विभाग या प्राधिकारी की बाध्यताएं.–(1) सक्षम प्राधिकारी, धारा (6) के खण्ड (i) के अधीन नोडल एजेंसी द्वारा उसको अग्रेषित किये गये आवेदन पर धारा 12 के अधीन विहित कालावधि के भीतर–भीतर विचार करेगा और उसका निपटारा करेगा।

(2) संबंधित विभाग या प्राधिकारी, यथाविहित कालावधि के भीतर–भीतर, धारा 6 के खण्ड (v) के अधीन नोडल एजेंसी द्वारा चाही गयी

टिप्पणियां उपलब्ध करायेगा, और यदि संबंधित विभाग या प्राधिकारी, पूर्वोक्त कालावधि के भीतर–भीतर टिप्पणियां उपलब्ध कराने में विफल रहता है तो यह समझा जायेगा कि धारा 11 में यथा उल्लिखित अध्यपेक्षित शिथिलीकरणों, छूटों और रियायतों के संबंध में संबंधित विभाग या प्राधिकारी का कोई आक्षेप या सुझाव नहीं है।

8. आवेदन का प्ररूप.–(1) सरकार, या तो भौतिक या इलेक्ट्रोनिक रूप विधान में, एक ऐसा आवेदन प्ररूप विहित करने के लिए सक्षम होगी जो–

(क) केन्द्रीय विधियों के अधीन प्ररूपों; और

(ख) राजस्थान विधियों के अधीन विद्यमान प्ररूपों या विद्यमान प्ररूपों के स्थान पर नये प्ररूपों या उपांतरित प्ररूपों से मिलकर बनेगा।

(2) सभी संबंधित विभाग या प्राधिकारी कार्यवाही करने के लिए और अपेक्षित अनुज्ञा जारी करने के लिए ऐसा आवेदन प्ररूप स्वीकार करेंगे।

(3) प्रत्येक विनिधानकर्ता, नोडल एजेंसी को आवेदन प्ररूप प्रस्तुत करने के समय, ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाये, नोटेरी पब्लिक द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित किया गया एक 'स्व–प्रमाणन' देगा कि वह सुसंगत विधियों के लागू होने योग्य उपबंधों का अनुपालन करेगा। विनिधानकर्ता द्वारा दिया गया स्व–प्रमाणन अनुज्ञा जारी करने और मंजूर करने के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया जायेगा।

9. आवेदन का फाइल किया जाना.–(1) अनुज्ञाओं के लिए सभी आवेदन विहित प्ररूप में धारा 5(1) और (2) में उल्लिखित नोडल एजेंसी को प्रस्तुत किये जायेंगे।

(2) इस अध्यादेश के अधीन धारा 11 के अधीन यथा उपबंधित अनुकूलित पैकेज, रियायतें, छूटें या शिथिलीकरण प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए आवेदन धारा 5(1) में उल्लिखित नोडल एजेंसी को प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) उप–धारा (1) और (2) के अधीन आवेदन ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस के साथ होगा, जो विहित की जाये।

10. अतिरिक्त सूचना मंगाने की सक्षम प्राधिकारी की शक्ति.–(1) अनुज्ञाओं के लिए आवेदन प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी को आवेदक से, यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की शक्तियां होंगी :

परन्तु इस धारा के अधीन अतिरिक्त सूचना केवल एक बार ही अध्यपेक्षित की जा सकेगी और अध्यपेक्षा–पत्र नोडल एजेंसी के माध्यम से भेजा जायेगा।

(2) आवेदक अपेक्षित सूचना सम्बन्धित नोडल एजेंसी को देगा।

(3) सक्षम प्राधिकारी, आवेदन को कारणों सहित मंजूर करने या नामंजूर करने के पश्चात् आदेश सम्बन्धित विनिधानकर्ता को भेजेगा और उनकी एक प्रति सम्बन्धित नोडल एजेंसी को पृष्ठांकित करेगा।

11. अनुकूलित पैकेजों, रियायतों, छूटों या शिथिलीकरणों की मंजूरी.–जहां सरकार या उसके अधीनस्थ कोई भी अन्य प्राधिकारी ऐसे अनुकूलित पैकेज, रियायतें, छूटें या शिथिलीकरण मंजूर करने के लिए किसी भी राजस्थान विधि के अधीन सशक्त किया गया हो, वहां सरकार, राज्य में विनिधान को सुकर बनाने की दृष्टि से, ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो वह ठीक समझे, राज्य में किसी उद्यम या उद्यमों के प्रवर्ग को अनुकूलित पैकेज, रियायतें, छूटें या शिथिलीकरण मंजूर कर सकेगी।

12. आवेदनों पर कार्यवाही करने के लिए समय–सीमाएं.–(1) तत्समय प्रवृत्त किसी राजस्थान विधि, नीति या आदेशों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सरकार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदनों पर कार्यवाही करने और उनके निपटारे के लिए समय–सीमा विहित कर सकेगी।

(2) सरकार, नोडल एजेंसी के लिए, आवेदन पर कार्यवाही करने और सक्षम प्राधिकारी, संबंधित विभाग या प्राधिकारी से टिप्पणियों के लिए और उनको राज्य सशक्त समिति या, यथास्थिति, जिला सशक्त समिति को प्रस्तुत करने के लिए समय–सीमा विहित कर सकेगी।

(3) सरकार, राज्य सशक्त समिति के लिए, इसकी सिफारिशें मंत्रि–परिषद् को प्रस्तुत करने के लिए समय–सीमा विहित कर सकेगी।

13. **अपील.**–कोई भी विनिधानकर्ता–

(i) सक्षम प्राधिकारी के आदेशों से व्यथित होने पर राज्य सशक्त समिति को;

(ii) जिला सशक्त समिति के आदेशों से व्यथित होने पर राज्य सशक्त समिति को;

(iii) राज्य सशक्त समिति के आदेशों से व्यथित होने पर सरकार को,–

अपील किये जाने वाले आदेश की विनिधानकर्ता द्वारा प्राप्ति की तारीख से तीस दिवस के भीतर–भीतर अपील कर सकेगा।

14. **पुनरीक्षण.**–(1) किसी राजस्थान विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी सरकार, या तो स्वप्रेरणा से या उसको इस निमित्त किये गये आवेदन पर, किसी भी सक्षम प्राधिकारी या राज्य सशक्त समिति या किसी जिला सशक्त समिति के समक्ष की किसी कार्यवाही का अभिलेख मंगवा सकेगी और उसमें की कार्यवाहियों या उसमें पारित आदेशों के औचित्य का परीक्षण कर सकेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आदेश लोकनीति के विरुद्ध नहीं है, न ही विधि के उपबंधों के विरुद्ध हैं और उनमें अनुज्ञाओं के लिए आवेदन के नामंजूर किये जाने के मामलों में, इस प्रकार पुनरीक्षित किये जाने वाले आदेशों के जारी होने के एक वर्ष के भीतर–भीतर और अनुज्ञाओं की मंजूरी के मामलों में तीन मास के भीतर–भीतर, ऐसे आदेश कर सकेगी, जो वह ठीक समझे।

(2) इस धारा के अधीन सरकार द्वारा जारी किये गये आदेश अंतिम होंगे और समस्त संबंधित पक्षकारों पर बाध्यकारी होंगे।

15. **राज्य सशक्त समिति और जिला सशक्त समिति की अधिकारिता.**–विनिधान का वह वर्ग, जिसके लिए, या विनिधान की वे सीमाएं, जहां तक, राज्य सशक्त समिति या किसी जिला समिति को धारा 3 के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदनों पर विचार करने और उन्हें निपटाने की अधिकारिता होगी, ऐसी होंगी जो विहित की जायें।

16. **सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई के लिए संरक्षण.**–राज्य सशक्त समिति या जिला सशक्त समिति के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों या

ऐसी समिति के निदेश के अधीन कार्य करने वाले सरकार के किसी कर्मचारी के विरुद्ध ऐसी किसी बात के संबंध में कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाहियां नहीं होंगी जो इस अध्यादेश या तदधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की जाये या की जाने के लिए आशयित हो।

17. **गोपनीयता.**–सरकार की कोई भी एजेन्सी या प्राधिकारी, या कोई भी स्थानीय प्राधिकारी जिसमें उसके अधीन के कृत्यकारी सम्मिलित हैं, विनिधानकर्ता की बौद्धिक संपत्ति का निर्माण करने वाली किसी भी सूचना को ऐसे विनिधानकर्ता की सहमति के बिना किसी अन्य विनिधानकर्ता या सम्यक् रूप से प्राधिकृत न किये गये किसी भी व्यक्ति को प्रकट नहीं करेगाः

परन्तु राज्य में किये गये विनिधान के निबंधन और शर्तों तथा सरकार या उसकी किन्हीं भी एजेन्सियों या प्राधिकारियों में से किसी के द्वारा, या किसी भी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा विनिधानकर्ता को उपलब्ध करायी गयी सुविधाएं, यदि कोई हों, के सम्बन्ध में समस्त सूचना सरकार द्वारा जनता को सूचना के लिए अधिसूचित की जायेगी।

18. **अंतःकालीन उपबंध.**–इस अध्यादेश के उपबंध ऐसे सभी विनिधान प्रस्तावों पर लागू होंगे जो इस अध्यादेश के प्रारम्भ की तारीख को सरकार या उसकी एजेन्सियों, प्राधिकारियों या उपक्रमों में से किसी के विचाराधीन रहे हैं, यदि सम्बन्धित विनिधानकर्ता विहित प्ररूप और रीति में नोडल एजेन्सी को आवेदन प्रस्तुत करके ऐसा विकल्प देता है।

19. **अध्यादेश का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना.**–इस अध्यादेश में यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, इस अध्यादेश के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य राजस्थान विधि, या ऐसी किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी रूढ़ि या प्रथा या किसी लिखत में अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होने पर भी, अध्यारोही प्रभाव रखेंगे।

20. **कठिनाई के निराकरण की शक्ति.**–(1) यदि इस अध्यादेश के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो सरकार, राज–पत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस

अध्यादेश के उपबंधों से असंगत न हों और जो उसे ऐसी कठिनाई का निराकरण करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अध्यादेश के प्रारम्भ से दो वर्ष की कालावधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके इस प्रकार किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान–मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

21. **नियम बनाने की शक्ति.**–(1) सरकार, साधारणतया इस अध्यादेश के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) इस अध्यादेश के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान–मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र के अवसान के पूर्व, राज्य विधान–मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं भी नियमों में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिएं तो तत्पश्चात् ऐसे नियम केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण, उनके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

शिवराज पाटिल,
राज्यपाल, राजस्थान।

सत्य देव टाक,
प्रमुख शासन सचिव।